<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नरसिंह राजपुरोहित पुत्र बिहारीलाल राजपुरोहित, गांव पुराड़ा, पोस्ट पोमावा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
प्रथम सूचना अपील संख्या :– 35/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/47
(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
</table>

–: निर्णय :–

02.05.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई । प्रत्यर्थी उपस्थित।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 27.12.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./01/2024/321 दिनांक 02.04.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वांछित सूचना राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट पाली से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 10 दिनांक 03.01.2024 द्वारा राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, पाली को सूचना उपलब्ध कराने बाबत् लिखा गया। इस संबंध में राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, पाली द्वारा इस कार्यालय को पत्रांक 3555 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 317 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना से संबंधित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली